

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुविभाग – देवास (म.प्र.)
(पिठासीन अधिकारी, रमेश पण्ड्या)

प्र.क्र. 93 / अ-२ / 2005 - 2006

मध्य प्रदेश शासन,
विरुद्ध
श्रीमती अनामिका पति दीपक कुमार गर्ग
117 नयापुरा चौक तुकोगंज देवास (म.प्र.)

आदेश

(दिनांक ३० / ८ / २००६ को पारित)
मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1958 की धारा 172 (1) के अंतर्गत

प्रकरण में आवेदक श्रीमती अनामिका पति दीपक कुमार गर्ग 117 नयापुरा चौक देवास (म.प्र.) के द्वारा ग्राम रसूलपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 255/6/2, 255/1/3, रक्खा 0.197 हेक्टर, 1970 वर्गमीटर भूमि व्यावसायिक उपयोग हेतु व्यवर्तन किये जाने वाबद म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अंतर्गत म.प्र. भूमि व्यवर्तन नियम 1962 के नियम 2 में अपेक्षित जानकारी सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं :–

1. खसरा वर्ष 2004-2005
2. पटवारी नक्षा ट्रेस की प्रति
3. बी-१ वर्ष 2004-2005
4. रजिस्ट्री की छायाप्रति

प्रमाणित प्रतिलिपि

नहानी देवास (म.प्र.)

प्रस्तावीन भूमि राजस्व अभिलेखों में भूमि स्वामी के रूप में आवेदक श्रीमती अनामिका पति दीपक कुमार गर्ग 117 नयापुरा चौक देवास (म.प्र.) के नाम पर इंद्राज होने से आवेदन पत्र विचारण योग्य पाया गया। प्रकरण नियत शीर्ष में दर्ज कर व्यवर्तन की अनुज्ञा जारी करने के प्रश्न पर उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश देवास सहायक अधीक्षक भूमि व्यवर्तन देवास, आयुक्त नगर पालिक निगम देवास तथा मुख्य कार्यालय अधिकारी देवास विकास प्राप्ति करण देवास से विभागीय अभिमत प्राप्त करने हेतु पत्र भिखे गये एवं पत्र के पालन में अभिन्न विभागों द्वारा निम्नानुसार अपना अभिमत पस्तुत किया गया :–

01. उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश देवास द्वारा अपने पत्र क्रमांक / ६७० / २९ / ३६ / न.ग्रा.नि. / ०५ देवास दिनांक 21.07.2005 से आवेदक श्रीमती अनामिका पति दीपक कुमार गर्ग 117 नयापुरा चौक देवास (म.प्र.) के द्वारा ग्राम रसूलपुर की भूमि सर्वे क्रमांक 255/6/2, 255/1/3, रक्खा 0.197 हेक्टर, 1970 वर्गमीटर व्यावसायिक उपयोग का संलग्न अभिन्न्यास म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनिवास 1973



अनुविभागीय अधिकारी
(राजस्व)
पन्दितगांग देवास म.

निम्न...02

की धारा 30 (1) (ख) तथा म.प्र. भूमि विकास निगम 1984 के नियम 2 (5) (क) एवं नियम 27 के अधीन अनुमोदन कर अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान कर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जाती है :-

01. निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम प्राधिकारी तथा संस्था से अनापात्ति/अनुज्ञा लेना अनिवार्य होगा ।
 - (अ) भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172
 - (ब) मध्य प्रदेश नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्त) नियम 1998
 - (स) नजूल अधिकारी देवास
 - (द) देवास विकास प्राधिकरण देवास
 - (इ) अन्य किसी नियमों/अधिनियमों वं अंतर्गत कोई अनुमति/अनुज्ञा अनिवार्य हो तो उसे आवश्यक रूप से प्राप्त की जावें ।
02. म.प्र. नगर पालिका कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्त नियम 1998 संशोधित नियम 3 जुलाई 2000 के नियम 3 (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्त) सहित अन्य सभी नियमों का पालन नगर पालिका निगम, कार्यालय देवास द्वारा सुनिश्चित करने के पश्चात ही सक्षम प्राधिकारी आयुक्त, नगर पालिक निगम देवास द्वारा विकास की अनुमति दी जा सकेगी ।
03. म.प्र. नगर पालिका (कालोनाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्त) नियम 1998 संशोधित नियम 3 जुलाई 2000, 31 जनवरी 2003, एवं 13 अगस्त 2003 के प्रावधानों के अनुसार आवेदक ने कमज़ोर आय वर्ग के लिए आश्रय शुल्क (शेल्टर टेक्स) जमा कराने का विकल्प चयन कर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है । अतः म.प्र. नगर पालिका नियम 1998 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार आश्रय निधि (शेल्टर टेक्स) कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी के संयुक्त खाते में जमा कराने के पश्चात ही सक्षम प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिका निगम देवास द्वारा विकास के कार्य की अनुमति दी जा सकेगी ।
04. विषयांकित भूमि के सामने अर्थात् परिचम दिशा में स्थित एवी मार्ग स्थित है । देवस विकास योजना 2011 के प्रस्ताव अनुसार उक्त मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 60.00 मीटर है । मार्ग मध्य से 30.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु तथा 30.00 मीटर भूमि हरित पट्टी जो कि आवेदक की भूमि में आती है, संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार खुली रखना होगी । अर्थात् मार्ग मध्य से 60.00 मीटर गहराई तक किसी भी प्रकार का निर्माण कार्रा मान्य नहीं होगा ।

14/2
नगर पालिका
(परिचम)
देवस विकास मन्त्री

05. म.प्र. नगर पालिका (कालोनी नाईजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बन्धन तथा शर्तें) नियम 1998 के प्रावधानों के अनुसार समर्पित आधार भूत सुविधाओं जैसे जल प्रदाय व्यवस्था, जल मल निकासी की व्यवस्था, विघुत व्यवस्था आदि का विकास/सुविधाओं का विकास पूर्ण कर विकास पूर्णता: का प्रमाण पत्र आवेदक सक्षम प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिक निगम देवास से प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
06. विषयांकित भूमि के प्रस्तावित अभिन्यास के आसपास लगी हुई भूमियों पर निर्मित/अनुमोदित मार्गों, प्रस्तावित मार्गों, भूखण्डों, खुला क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों की निरंतरता का समायोजन किया जावें।
07. म.प्र. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक /एफ-1/ 32/ 86/ भोपाल दिनांक 05.06.1986 के परिपालन में प्रत्येक भूखण्ड के सामने एक बड़ा घना छायादार वृक्ष लगाना होगा। इसके अतिरिक्त म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश दिनांक 28.01.1978 के अनुसार 15 वृक्ष प्रति हेक्टर के मान से वृक्षारोपण भी करना होगा।
08. संलग्न मानवित्र में दर्शाई गई पार्क की भूमि को फॉसिंग कर उसका विकास कर वृक्षारोपण एवं पौधे लगाकर प्राथमिकता के आधार पर करना होगा।
09. संलग्न अभिन्यास के आधार पर कालोनी के आंतरिक विकास कार्य का प्रावक्तन सक्षम प्राधिकारी आयुक्त नगर पालिक निगम देवास से स्वीकृत करवाकर विवास कार्य उनकी देख रेख में करना होगा। इन विकास कार्यों में म.प्र. नगर पालिका नियम 1998 संशोधित नियम 3 जुलाई 2000 के प्रावधानों के अनुसार मूल-भूत सुविधाओं जैसे जल प्रदाय व्यवस्था, जल मल निकासी की व्यवस्था, वर्षा के जल की निकासी की व्यवस्था, विघुत प्रदाय व्यवस्था आदि सम्मिलित होंगे।
10. म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 82 के प्रावधानों के अनुसार मानसिक एवं शारीरिक रूप से विशक्त व्यवितयों को (विकलांग व्यवितयों के लिए) समर्पित आवश्यक सुविधायें सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान कराया जावें साथ ही शासन आदेशानुसार निशक्त व्यवितयों के लिये यथोचित आरक्षण करना अनिवार्य होगा।
11. म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 33 के प्रावधानों के अनुरूप यह अनुज्ञा 3 (तीन) वर्ष की कालावधि के लिये प्रदत्त रहेगी।
12. संलग्न मानवित्र को भू-स्वामित्व का दस्तावेज नहीं समझा जावें।
13. नियमानुसार कालोनी का विकास कार्य सम्पन्न होने के पश्चात भूखण्डों पर भवन

के आंतरित प्रस्ताव म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के प्रावधानों के तहत नगर पालिक निगम देवास से स्कॉलरशिप कर्सने के उपरांत ही भूखण्ड पर विकास/निर्माण किया जा सकेगा। भवन का निर्माण भुकम्परोधी तकनीकी के अनुसार किया जाना होगा।

14. म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 73 (4) के प्रावधानों के अनुसार 250 वर्ग मीटर से बड़े भूखण्डों में निर्मित होने वाले भवनों को शहरी जल प्रदाय प्रणाली हेतु रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्रक्रिया अपनानी होगी। इसके पश्चात ही भूखण्ड पर जल एवं विधुत संयोजन संबंधित संस्थाओं द्वारा किया जा सकेगा।
15. संलग्न अभिन्यास में प्रश्नाधीन स्थल की सीमा तक दर्शाये गये मार्गों की निरंतरता सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य होगा। अतः मार्गों को गेट अथवा बाउण्ड्रीवाल से अवरुद्ध नहीं किया जावें।
16. अनुमोदित अभिन्यास की एक सत्यापित प्रति मय आदेश के स्थल पर विकास कार्य के दौरान रखना आवश्यक होगा।
17. स्थल पर अभिन्यास अनुमोदन संबंधी जानकासरी एक 5 फीट X 4 फीट साईज के बोर्ड पर अंकित कर स्थापित करना अनिवार्य होगा।
18. नियमानुसार विकास की अनुमति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त करने के पश्चात ही स्थल पर विकास कार्य प्रारंभ करने के पूर्व विषयांकित भूमि का सीमांकन आवेदक (कालोनाईजर) को राजस्व विभाग से कराना होगा। सीमांकन उपरांत स्थल की सीमा अथवा अभिन्यास अनुसार यदि कोई भिन्नता आती है, तो विषयांकित भूमि पर सीमांकित अभिन्यास इस कार्यालय ने अनुमोदित कराने के पश्चात ही स्थल पर विकास कार्य किया जा सकेगा।
19. किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी विवाद होने पर या दी गई जानकारी असत्य पाई जाने पर या उक्त अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत (रिहोक) की जा सकेगी।

(संलग्न – एक स्वीकृत अभिन्यास)

02. आयुक्त नगर पालिक निगम देवास – आयुक्त नगर पालिका निगम देवास को पत्र क्रमांक/99-101/आर-2/06 देवास दिनांक 07.01.2006 से अभिसत चाहा गया, तथा यह सूचित किया गया कि यदि समयावधि में अभिसत/अनुज्ञा प्राप्त नहीं होने की दशा में प्रकरण में आपकी सहमति मानी जावेगी।

प्र.क्र. 93 / अ-2 / 2005-2006

03. मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवास विकास प्राधिकरण देवास - मुख्य कार्यपालन अधिकारी देवास विकास प्राधिकरण देवास को श्रेत्र क्रमांक 99/101 / आर-2/06 देवास दिनांक 07.01.2006 से अभिमत चाहा गया, तथा यह सूचित किया गया कि यदि समयावधि में अभिमत/अनुज्ञा प्राप्त नहीं होने की दशा में प्रकरण में आपकी सहमति मानी जावेगी ।

04. आवेदक की ओर से इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि म.प्र. शासन के राज पत्र दिनांक 03 मई 2003 द्वारा संशोधित कर विकास योजना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में भूमि खामी द्वारा व्यपवर्तन हेतु लिखित जानकारी देना होगी ऐसे व्यपवर्तन के लिए कोई अनुज्ञा आवश्यक नहीं है ।

05. सहायक अधीक्षक भू- अभिलेख व्यपवर्तन शाखा देवास - प्रश्नाधीन भूमि का स्थल निरीक्षण एवं जांच प्रतिवेदन प्राप्त करने पर उनके द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रकरण क्रमांक / 19 अ-2 / 2005-06 दिनांक 31.12.2005 में प्रतिवेदन किया कि

01. प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 255/6/2, 255/1/3, रकबा 0.197 हैक्टर 1970 वर्गमीटर राजस्व अभिलेख में आवेदक के नाम से ग्राम रसूलपुर में भूमि खामी स्वत्व पर दर्ज है ।

02. प्रश्नाधीन भूमि 1970 वर्गमीटर पर आवेदक का कब्जा है ।

03. प्रश्नाधीन भूमि 1970 वर्गमीटर 2005-2006 में भूमि खुली है ।

04. प्रश्नाधीन भूमि पर विघुत लाईन है, टेलीफोन लाईन नहीं है, पेड़ नहीं है, धार्मिक नहीं स्थल है । भूमि के कृषि भिन्न आशय में कोई सार्वजनिक बाधा नहीं है ।

05. यह भूमि नगर पालिक निगम में स्थित है ।

06. प्रश्नाधीन भूमि ग्राम रसूलपुर में स्थित है यह भूमि देवास के समूह क्रमांक 7 में स्थित है । इस ग्राम /समूह हेतु राज्य शासन द्वारा अनुमोदित प्रमाणिक दर निवास प्रयोजन हेतु रूपये 19.50/- एवं व्यवसायिक/औद्योगिक प्रयोजन हेतु 75/- रूपये प्रति दस वर्गमीटर निर्धारित है । निर्धारित प्रमाणित दर अनुसार प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 255/6/2, 255/1/3, रकबा 0.197 हैक्टर 1970 वर्गमीटर व्यावसायिक प्रयोजन हेतु 14775/- रूपये परिवर्तित लगान प्रतिवर्ष वर्ष 2005-2006 से एवं प्रिमीयम 15/- प्रति वर्गमीटर रो 29550/- रूपये का निर्धारण प्रस्तावित किया गया है ।

आवेदक श्रीमती अनामिका पति दीपक कुमार गर्ग के कथन लिये गये । आवेदक द्वारा आवेदित भूमि स्वत्व के स्वत्व एवं कब्जे की होना स्वीकार किया है । यह भी स्वीकार किया गया है कि कृषि भिन्न आशय के उपयोग की अनुमति भूमि में उल्लेखित शर्तों का पालन करेगा । शासन द्वारा नियमानुसार जो भी निर्धारण होगा उसे भुगतान करेगा ।

14/01/2006
नमूदिनामीय अधिकारी
(.....)
प्रमाणित
10 म.प.

निर...05.

प्रकरण में उपयुक्त सभी तथ्यों पर स्वाक्षर विचारोपरान्त आवेदित कृषि भूमि सशर्त व्यपवर्तन योग्य पाई गई है। अतः ग्राम रसूलपुर देवास की भूमि सर्वे क्रमांक 255/6/2, 255/1/3, रकबा 0.197 हेक्टर 1970 वर्गमीटर व्यावसायिक प्रयोजन हेतु कृषि भिन्न आशय में व्यपवर्तन हेतु उपयोग की अनुमति म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (1) के अंतर्गत निम्नानुसार शर्तों पर प्रदान की जाती है।

01. प्रश्नाधीन भूमि ग्राम रसूलपुर में स्थित है यह भूमि देवास के समूह क्रमांक 7 में स्थित है। इस ग्राम / समूह हेतु राज्य शासन द्वारा अनुमोदित प्रमाणिक दर निवास प्रयोजन हेतु रूपये 49.50/- एवं व्यवसायिक/औद्योगिक प्रयोजन हेतु 75/- रूपये प्रति दस वर्गमीटर निर्धारित है। निर्धारित प्रमाणित दर अनुसार प्रश्नाधीन भूमि सर्वे नं. 255/6/2, 255/1/3, रकबा 0.197 हेक्टर 1970 वर्गमीटर व्यावसायिक प्रयोजन हेतु 14775/- रूपये परिवर्तित लगान प्रतिवर्ष वर्ष 2005-2006 से एवं प्रिमीयम 15/- प्रति वर्गमीटर से 29550/- रूपये का निर्धारण अधिरोपित किया जाता है। जो एक मुश्त देय होगा।
02. उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश देवास द्वारा अपने पत्र क्रमांक/670/29/36/न.ग्रा.नि./05 देवास दिनांक 27.07.2005 से उक्तानुसार अधिरोपित शर्त क्रमांक 1 से लगायत 19 तक का पालन करना अनिवार्य होगा।
03. आवेदक प्रश्नाधीन भूमि का उपयोग व्यावसायिक उपयोग हेतु ही करेगा। भूमि के स्वत्व स्वामित्व सीमा या कब्जे के संबंध में कोई विवाद होने की स्थिति में यह अनुमति स्वमेव शुन्य मान्य होगी।
04. यदि प्रार्थी को इस अनुज्ञा के अलावा कोई अन्य शासकीय/अर्द्ध शासकीय विभाग/ संस्थान से अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है तो वह भी प्राप्त करना होगी। नगर पालिका निगम से अनुमति प्राप्त करना होगी। मुख्य मार्ग की ओर निस्तार हेतु भूमि छोड़ना होगी।
05. किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अनुमति स्वमेव शुन्य होगी।

उपयुक्त कृषि भिन्न आशय के उपयोग की अनुज्ञा के साथ निर्धारित शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर आवेदक म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 (4) (5) (6) के अधीन कार्यवाही का उत्तरदायी होगा।

(रमेश पण्ड्या)

अनुबिधायी अधिकारी (राजस्व)

अनुमति देवास (म.प्र.)

प्राप्ति

पृ.क्र. / २८९३ / आर-२ / २००६

11/07/11

देवास, दिनांक 11/06/06

प्रतिलिपि :-

01. सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख व्यपवर्तन शाखा देवास।
02. तहसीलदार देवास की ओर अभिलेख में अमल व वसूली हेतु।
03. पटवारी हल्का नम्बर 27 ग्राम रसूलपुर तहसील देवास की ओर पालनार्थ।
04. आवेदक श्रीमती अनामिका पति दीपक कुमार गर्ग 117 नयापुरा चौक देवास (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

11/06/06

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)

अनुभोग देवास (म.प्र.)

(राजस्व)

अनुविभाग देवास न. ५

11/06/06

22/11/06

11/10/06

16/11/06

16/11/06

22/11/06

3/11/06

कार्यालय कलेक्टर, (नजूल) जिला देवास म0प्र0

क्रमांक / २१६ / नजूल / लेखा / 2005,

देवास, दिनांक / २३ / ०९ / २००५

प्रति,

उक्त क्र. १५४७२०(४)
2004 - 2005

श्रीमति अनामीका गग,
117-तुकोगंज नयापुरा-देवास

—:: अनापत्ति-प्रमाण-पत्र ::—

प्रमाणित किया जाता है कि, श्रीमति अनामीका गग, 117-तुकोगंज नयापुरा-देवास, की भूमि ग्राम-रसूलपुर के सर्व नंबर-255/1/3 व 255/6/2 कुल सर्व नंबर-2, क्षेत्रफल 0.482 हेक्टर (4820 वर्गमीटर) पर वाणिज्यिक भू-खण्डों हेतु अभिन्यास अनुमोदन कराया होने से इस भूमि का नजूल से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन पत्र पेश किया है।

यह भूमि प्रार्थीया के नाम पर पटवारी हल्का नंबर-27 के पटवारी अभिलेख में भूमि स्वामी स्वत्व पर दर्ज होकर मौके पर भूमि पड़त है। इस भूमि पर नजूल की कोई राशि बकाया नहीं है।

इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

नजूल अधिकारी,
जिला देवास म0प्र0